न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/305/2018

उनवान

1. पन्ना पिता मांगू जाट निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. पवन कुमार पिता रिखबचन्द महाजन निवासी हुरडा हाल मुकाम टोंक गली, विजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर
2. श्रीमती भॅवरी देवी पत्नि रामस्वरूप लढा निवासी हुरडा तहसील हुरडा जिला जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 192/2017 निर्णय दिनांक 18.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री रामदयाल जाट,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 2.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा प्रार्थीगण के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी अधिकार हक की कृषि आराजियात हुरडा सेजा पटवार हल्का हुरडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में प्रार्थी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2135 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 2 की आराजी नम्बर 2134 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त आराजी नम्बर 2134 एवं 2135 जो कि विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2246 से सटी हुई है। तथा प्रार्थीगण की आराजियात में आने–जाने का एकमात्र रास्ता गांव से रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 2253 से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2246 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर अपनी आराजी नम्बर 2134 व 2135 में आते जाते हैं। जो 10 फीट चौडा रास्ता बना होकर गाडी गडार बनी हुई है , जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने–जाने का एकमात्र रास्ता व आत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है , इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है व विपक्षी संख्या 1 की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजी को हडप करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गया । जबकि विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 20 फरवरी 2017 को रास्ते में अवरोध पैदा नहीं करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर पर इंकार हो गये व रास्ते को बन्द करने की धमकी दी। जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 1 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बन्द करने पर आमादा है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2135 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं प्रार्थी संख्या 2 की आराजी नम्बर 2134 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा पर आने–जाने का एकमात्र रास्ता जो कि गांव से आराजी नम्बर 2253 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2246 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा की दक्षिणी मेड से होकर अपनी आराजी नम्बर 2134 एवं 2135 में आते जाते हैं। जो 10 फिट चाडा रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए सदैव तत्पर है।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद हुरडा में प्रार्थीगण की ख़ातेदारी की आराजी संख्या 2135 व 2134 स्थित है तथा उक्त आराजी से सटी हुई अपीलार्थी / विपक्षी की आराजी संख्या 2246 स्थित है तथा यह भी वर्णित किया कि प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का एक मात्र

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता गांव से रेकार्डेड रास्ता आराजी संख्या 2253 से होकर अपीलाण्ट/विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2246 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2134 व 2135 में आते जाते हैं। जो 10 फिट चौडा बना हुआ है। अपीलार्थी/विपक्षी ने अपनी ओर से अधिवक्त नियुक्त कर जवाब हेतु अवसर चाहा । लेकिन इसी मध्य पत्रावली को दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत कैम्प हुरडा में प्रस्तुत किया जाना दर्शित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.6.2018 को ही अपीलार्थी/विपक्षी को अपनी ओर से जवाब, एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी/विपक्षी की आराजी संख्या 2246 में से 140 फिट लम्बा व 13 फिट चौडा रास्ता दिलाये जाने का आदेश पारित कर दिया । जबकि अपीलार्थी की आराजी में से होकर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि लोक अदालत कैम्प हुरडा में अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की सहमति नहीं दी गई थी। बल्कि प्रत्यर्थीगण का रास्ता अपीलाण्ट के खेत में से नहीं होकर सदैव ही रेस्पोडेण्ट की आराजी संख्या 2137 एवं 2138 जो कि घीसा पुत्र मांगू बलाई की खातेदारी की है उसी में से आता जाता रहा है। आराजी नम्बर 2138 में से होकर 2137 में होते हुए 2136 जो कि गैर मुमकिन चाह है वहॉ तक आवागमन का रास्ता स्थित है। जहॉ से मात्र 15–20 फिट दूरी पर ही प्रत्यर्थीगण की आराजियात स्थित है तथा आराजी संख्या 2138 तक रेकार्डेड आम रास्ता आराजी संख्या 2139/4742 स्थित है। लेकिन इस संबंध में न तो अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं न ही भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवार हल्का से इस बाबत कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की । मनमकसूद तरीके से पूर्ण प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए आनन–फानने में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था। जो कि आराजी नम्बर 2138 के पास से 2137 में भी रास्ता दिया जा सकता था।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अंकन किया गया कि वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए जबकि कैम्प में न तो अपीलाण्ट के वकील गये एवं न ही अपीलाण्ट को इस बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ। आदेशिका पर भी अपीलाण्ट अथवा अपीलाण्ट के अधिवक्ता के उपस्थितिस्वरूप हस्ताक्षर नही है। साथ ही आदेश में यह भी वर्णित किया है कि इस बाबत अधिवक्ता अप्रार्थी सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोक अदालत के दौरान बिना सहमति के कोई निर्णय पारित किये जाने का कोई अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में पत्रावली का सामान्य अनुक्रम में जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाकर एवं साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था। ऐसा नहीं कर बिना साक्ष्य सबूत को रेकार्ड पर लिये एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया गया कि प्रकरण में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं था। मौका रिपोर्ट के अधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें आत्यंतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण दो भिन्न–भिन्न खातेदार हैं। जिसमें आराजी नम्बर 2135 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा तो प्रत्यर्थी संख्या 1 पवन कुमार पिता रिखबचन्द महाजन की थी एवं आराजी नम्बर 2134 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती भॅंवर देवी पत्नी रामस्वरूप लढा की आराजियात थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी के जवाब हेतु दिनांक 12.3.2018 को लंबित था। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.4.02018 नियत की गई। दिनांक 2.4.2018 को पीठासीन अधिकारी, अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.7.2018 नियत की गई। दिनांक 2.7.2018 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर रखा गया । जिसमें वकील उभयपक्ष की उपस्थिति अंकित की गई है। उभयपक्ष के अधिवक्ता की तहसीलदार हुरडा की मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई।

12. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे । अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जबकि दिनांक 18.6.2018 के आदेश में उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति अंकित की गई है। निर्णय के बिन्दु संख्या 9 में अंकित है कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बहस सुनी गई। वक्त बहस प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट को सही होना स्वीकार जाहिर किया है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार के द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है वह निकटतम रास्ता नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में एकतरफा प्रत्यर्थीगण की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

13. अपीलार्थी का मुख्य कथन यही है कि नियत तारीख पेशी से पूर्व की तारीख दिनांक 18.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा में जवाब प्रस्तुत किये जाने पूर्व ही पत्रावली निर्णित कर दी गई। जिसमें वकील उभयपक्ष उपस्थित बताये गये हैं परन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित होने के बावजूद उन्हें उपस्थित बताया जाकर निर्णय पारित किया गया है इस बिन्दु को साबित करने का भार अपीलार्थी पर है । अपीलार्थी द्वारा इस बाबत मात्र मौखिक कथन किया गया है तथा अपीलार्थी/विपक्षी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति बाबत कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता का कोई शपथ पत्र भी संलग्न नहीं किया है । अतः यह माना जाने का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समय कैम्प कोर्ट हुरडा में उपस्थित नहीं थे ।

14. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य सहमति नहीं होने का तथ्य रेकार्ड पर होने के उपरान्त भी प्रकरण का लोक अदालत में निस्तारण किया जाना उचित नहीं बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी/विपक्षी की किसी प्रकार की सहमति नहीं होने के उपरान्त भी प्रकरण का निस्तारण

मू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा) के आदेश अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रकरण लोक अदालत में आपसी सहमति से निर्णित नहीं किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनकर विवचेनात्मक निर्णय कैम्प कोर्ट हुरडा में किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द अहकाम दिनांक 18.6.2018 में स्पष्ट अंकन किया है कि पत्रावली पेश होने व वकील उभयपक्ष के उपस्थित होने पर वकील उभयपक्ष के द्वारा बहस पर सहमति व्यक्त करने पर वकील उभयपक्ष की बहस तहसीलदार हुरडा के मौका पर्चा पर सुनी गई। इस प्रकार प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस को दर्ज किया गया है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट को भी मेरिट पर निर्णय में शामिल किया गया हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण की पृथक–पृथक आराजी तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो अथवा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हो, ऐसा साबित करने में अपीलार्थी असफल रहे हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत होने से हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.6.2018 को यथवत रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा